# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

**पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)**

**राजस्व प्रकरण संख्या :– 150/2025** **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/268**
**दायर दिनांक :– 23.06.2025** **निर्णय दिनांक :– 14.01.2026**

1. फकरदीन पुत्र महमूद खां जाति मुसलमान निवासी बाप हाल नि. जैतड़ासर तह. बाप जिला फलोदी

**–प्रार्थी**

**बनाम**

1. समीना खातुन पत्नी अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. कमला खातुन पत्नी सिकन्दर जाति मुसलमान निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. गुलाम रूसूल पुत्र महमूद खान जाति मुसलमान निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. जुल्फत खातुन पत्नी सईदुल्ला जाति मुसलमान निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
5. दरिया खातु पत्नी मोलाबक्स जाति मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
6. नजीरा खातुन पत्नी रहीमबक्स जाति मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
7. नूर खातु पत्नी मीरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
8. ख्तु खातून पत्नी मोहम्मद हसन खां जाति मुसलमान निवासी जैतड़ासर तहसील बाप जिला फलोदी
9. उमरदीन पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
10. मरीमों खातुन पत्नी शेरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
11. मेहरखातू पत्नी कासम खां जाति मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
12. रईसा खातु पत्नी अब्दुल गफूर जाति मुसलमान निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
13. रहमतूला पुत्र महमूद खां जाति मुसलमान निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
14. रहीस दीन पुत्र महमूद खां जाति मुसलमान निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
15. सईदाखातुन पत्नी शोकतअली जाति मुसलमान निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
16. सकूर मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
17. सुफिया खातुन पत्नी इलमदीन जाति मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
18. हनु खातुन पत्नी मोहम्मद हनीफ जाति मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
19. नजीरा खातू पत्नी कादर खां जाति मुसलमान निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
20. अरबा खातून पत्नी अलाबक्स जाति मुसलमान निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
21. अलारखी पत्नी अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी जैतडासर तहसील बाप जिला फलोदी
22. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

**–अप्रार्थीगण**

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 वास्ते न्यायालय सहायक कलक्टर बाप के वाद संख्या 94/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2025 की पूर्व स्थिति बहाल करने हेतु**

Satya...

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

## —:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 इस आशय से पेश किया है कि वादी/अप्रार्थी संख्या 1 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर बाप में पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 94/2024 बअनवान सीमाना बनाम उमरदीन वगैरा है। उक्त वाद में वर्णित विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 159 रकबा 40.6466 हैक्टेयर मौजा गाडना में स्थित है। उक्त वाद का निर्णय/डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा दिनांक 04.03.2025 को कर दिया था। उक्त निर्णय/डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 951 मौजा गाडना भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त निर्णय की जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने उक्त निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश की जिसके मुकदमा नम्बर 135/2025 है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 15.05.2025 को कर पूर्व निर्णय दिनांक 04.03.2025 को अपास्त कर दिया है। लेकिन आज दिन तक पूर्व निर्णय अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात है और वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में हेरफेर होने के आसार है जो सरासर गलत है। पूर्व निर्णय के अपास्त होने से वर्तमान राजस्व इन्द्राजात का कानून कोई महत्व नहीं रहा है। उक्त पूर्व निर्णय के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण संख्या 951 मौजा गाडना से पूर्व की स्थिति कायम किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पर बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन करने पर पाया गया कि सहायक कलक्टर बाप का निर्णय दिनांक 04.03.2025 की पालना में मौजा गाडना नामान्तरकरण संख्या 951 भरा जाकर स्वीकृत हुवा। उक्त निर्णय अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.05.2025 के द्वारा अपास्त किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि नामान्तरकरण संख्या 951 मौजा गाडना जिस निर्णय के आधार पर दर्ज हुआ है। वह निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण संख्या 951 मौजा गाडना के पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति पुनः स्थापित की जानी कानूनी तौर पर आवश्यक है। न्यायालय सहायक कलक्टर बाप के राजस्व वाद संख्या 94/2024 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 04.03.2025 के अपास्त हो जाने की स्थिति में इस निर्णय की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 951 मौजा गाडना के अनुसार अंकित प्रविष्टयों को यथावत रखना न्यायोचित नहीं है अपितु धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार उक्त डिक्री से पूर्व की

Satya..

स्थिति को पुर्नस्थापित किया जाना आवश्यक है। उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**—:: आदेश ::—**

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि वाद संख्या 94/2024 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 04.03.2025 की पालना में भरे गये नामान्तरकरण संख्या 951 मौजा गाडना को निरस्त करते हुवे राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण—I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)